संख्या-20/2/2013-का-2/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव,
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ दिनॉक 30 जुलाई, 2014

विषय- विभागों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

विभागों में समूह-क एवं ख के रिक्त पदों को भरे जाने के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं -

(1) समूह-क एवं ख के पदों को चिन्हित करते हुए अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के अंदर इन्हें भरे जाने के संबंध में एक माह के अंदर कार्य-योजना बनाई जाये। कार्य-योजना में निम्नलिखित बिंदुओं को अवश्य शामिल किया जाये-

(क) समस्त रिक्तियों को चरणबद्व तरीके से भरे जाने का कार्यक्रम।

(ख) नियमावली में किये जाने वाले आवश्यक संशोधनों का विवरण।

(ग) चयन का कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने के संबंध में विभाग का मत।

(घ) रिक्त पदों के समूह बनाकर सम्मिलित चयन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्तानुसार तैयार की गयी कार्ययोजना पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से मा0मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा ऐसी अनुमोदित कार्य योजना में शामिल पदों पर शासनादेश दिनॉक 15-03-2012 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध स्वत: समाप्त समझा जायेगा।

(2) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसके द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती/चयन प्रक्रिया की समीक्षा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार की जायेगी। उक्त समिति में सदस्य के रूप में प्रमुख सचिव, वित्त एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग इसके संयोजक सदस्य होंगे।

(3) अभ्यर्थियों को कम से कम चयन प्रक्रिया/परीक्षाओं में शामिल होना पड़े, इस दृष्टिकोण से कार्मिक विभाग द्वारा विभागों/संस्थाओं के समूह- क व ख के रिक्त पदों के समूह बनाये जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। जिनके लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा/चयन कार्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य किसी संस्था द्वारा किया जायेगा।

(4) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के संबंध में एक वार्षिक कैलेण्डर बनाया जाये। इसी के अनुसार अनिवार्य रूप से चयन की कार्यवाही इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि प्रत्येक वर्ष चयनित अभ्यर्थी नियमित रूप से उपलब्ध होते रहें। प्रत्येक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि वे आयोग

http://gadesh.up.nic.in

द्वारा निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार प्रत्येक वर्ष रिक्तियों का अधियाचन आयोग को प्रेषित करें। निर्धारित तिथि तक विभागों से अधियाचन प्राप्त होने की स्थिति में उसी वर्ष चयन प्रक्रिया में इन रिक्तियों पर भर्ती की कार्यवाही आयोग द्वारा की जायेगी। यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग को अधियाचन प्रेषित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अधियाचन में वर्णित रिक्तियों अगले वर्ष से संबंधित चयन कार्यक्रम में शामिल किये जायेंगे।

2- कृपया उपर्युक्त लिये गये निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-20/2/2013-का-2/2014, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0मुख्यमंत्री।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in